

दिनांक: 20-02-2017 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में रू0 25 लाख से अधिक लागत की सड़क एवं अन्य निर्माण परियोजनाओं की प्रगति माह-जनवरी,2017 के आधार पर आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त-

सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि वह सभी निर्माणाधीन कार्यों को पूर्ण गुणवत्ता के साथ दिना किसी दवाव के निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

- 1- निविदा प्रक्रिया नियमानुसार होनी चाहिए। निविदा समिति का गठन नियमानुसार हो ठेकेदार एवं मजदूरों का पंजीकरण होना चाहिए तथा किसी ठेकेदार के भुगतान में अनावश्यक विलम्ब नहीं होना चाहिए। सभी कार्यदायी संस्थाएं नियमानुसार श्रम विभाग द्वारा लगाये जा रहे सेस की धनराशि जनपद में जमा कराना ही सुनिश्चित करें। क्योंकि उक्त धनराशि को श्रमिकों के लिये राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में व्यय किया जाना है। कार्यों का अनुश्रवण गुणवत्ता पूर्ण ढंग से किया जाय। कार्य की गुणवत्ता की जाँच निर्धारित प्रयोगशाला में करायी जायेगी।
- 2- सभी अधिशासी अभियन्ता अपने अधीनस्थ समस्त खण्डों का प्रति सप्ताह 05 निरीक्षण करेंगे एवं निरीक्षण आख्या फोटोग्राफ सहित मुख्य विकास अधिकारी,एटा को उपलब्ध करायें जिसकी संकलित सूचना मेरे सम्मुख प्रस्तुत की जाय। इस कार्य में जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी,एटा सहयोग करेंगे।
- 3- धनाभाव के कारण किसी परियोजना का कार्य बाधित नहीं होना चाहिए। धनराशि की माँग के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी के स्तर से अर्द्धशासकीय पत्र प्रेषित करा दिया जाय। विधिक अडचन एवं भूमि के अभाव में किसी परियोजना का कार्य बाधित नहीं होना चाहिए।
- 4- प्रशासकीय विभाग धनराशि हस्तान्तरण में विलम्ब न करें। कोषागार में भुगतान 03 दिन में सुनिश्चित कराये जाय।

उपरोक्त सभी निर्देशों का अनुपालन किया जाना नितान्त आवश्यक है।

यह भी निर्देश दिये गये कि अधिशासी अभियन्ता,लोक निर्माण विभाग ,जल निगम,समाज कल्याण निर्माण निगम,उ0प्र0राज्य सेतु निगम,यू0पी0पी0सी0एल0,सी0एण्ड डी0एस0 आदि कार्यदायी संस्थायें अपने कार्यालय में कार्यरत (जनपद एटा से सम्बन्धित)अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता की नामवार मोबाइल नम्बर सहित सूची जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी,एटा को उपलब्ध करायें। आगामी बैठक में निम्न विभाग के अधिकारियों को प्रतिभाग करने के निर्देश दिये गये।

- 1- अधिशासी अभियन्ता,नलकूप खण्ड
- 2- अधिशासी अभियन्ता,सिंचाई खण्ड
- 3- सहायक अभियन्ता,लघु सिंचाई
- 4- जिला विकास प्रबन्धक-नाबार्ड
- 5- अपर मुख्य अधिकारी,जिला पंचायत
- 6- श्रम प्रवर्तन अधिकारी
- 7- प्रधानाचार्य,आई0टी0आई0

उपरोक्त विभागों द्वारा कराये गये पूर्ण एवं निर्माणाधीन समस्त कार्यों की सूची प्राप्त करने हेतु निर्देश जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी,एटा को दिये गये।

जनपद में कराये गये विभागवार पूर्ण एवं प्रगति वाले कार्यों की जाँच हेतु 05 टीम का गठन करने हेतु निर्देश दिये गये।

- 1-जिलाधिकारी एवं अधिशासी अभियन्ता,ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
- 2-मुख्य विकास अधिकारी एवं सहायक अभियन्ता,जिला ग्राम्य विकास अभिकरण।
- 3-अपर जिलाधिकारी(प्रशासन) एवं अधिशासी अभियन्ता,लोक निर्माण विभाग।
- 4-अपर जिलाधिकारी (वि0एवं राज0) एवं अधिशासी अभियन्ता,समाज कल्याण निर्माण निगम।
- 5-उप जिलाधिकारी (श्री संजीव कुमार)एवं सहायक अभियन्ता,लोक निर्माण विभाग।

उपरोक्त सभी टीमें जनपद में कराये गये विगत वर्षों के निर्माण कार्य एवं सड़क के निर्माण की मानकनुसार जाँच करेगी।

लोक निर्माण विभाग:-

अधिशाली अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि 04 कार्य पूर्ण एवं 01 कार्य प्रगति पर है। पूर्ण कार्यों की जाँच गठित समिति द्वारा कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। रिजोर नाजिरपुर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं है। अधिशाली अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग को अधोहस्ताक्षरी की ओर से अर्द्ध शासकीय पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये गये हैं।

(कार्यवाही-अधि0अभि0, लो0नि0वि0)

उ0प्र0प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0-कन्नौज:-

जनपद में 02 कार्य कराये गये हैं एटा अग्निशमन केन्द्र में आवासीय भवनों का निर्माण कार्य की जाँच हेतु अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), अपर पुलिस अधीक्षक एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी को सत्यापन कर जाँच आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही-प्रबन्धक-यू0पी0पी0सी0एल0-कन्नौज)

सी0एण्ड डी0एस0अलीगढ-

आई0एच0एस0डी0पी0 निधौली कलों, भूतेश्वर वस्ती एवं अवागढ में क्रमशः-60,96,96 आवास पूर्ण है। विद्युत संयोजन की कार्यवाही की जा रही है। परियोजना अधिकारी डूडा को निर्देशित किया गया कि अधिशाली अभियन्ता, विद्युत (ग्रामीण) एवं कार्यदायी संस्था से समन्वय स्थापित कर मार्च, 2017 तक समस्त कार्य पूर्ण करायें। मॉडल स्कूल नगर बझौरा (अलीगंज), मुईददीनपुर (जैथरा) एवं गहराना (निधौली कलों) का कार्य चल रहा है मॉडल स्कूल नगर बझौरा एवं मुईददीनपुर का कार्य 31 मार्च, 2017 तक पूर्ण कर हस्तान्तरण करायें। मॉडल स्कूल गहराना का कार्य अप्रैल, 2017 तक पूर्ण कराकर हस्तान्तरण करायें।

(कार्यवाही-परियोजना प्रबन्धक-सी0एण्ड डी0एस0/डूडा/जिला विद्यालय निरीक्षक)

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग:-

विकास खण्ड-जैथरा कार्यालय भवन तथा टाइप-1 के तीन आवास एवं टाइप -3 के एक आवास का निर्माण मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-20-05-2014 के क्रम में यथा स्थिति कायम है। मुख्य विकास अधिकारी एटा से अपेक्षा की गयी कि प्रकरण को अपने स्तर से देखते हुये आवश्यक विधिक कार्यवाही करायें। महारानी लक्ष्मीबाई इन्टर कालेज, एटा के पुराने भवन के स्थान पर नया भवन का निर्माण कार्य पूर्ण है अप्रैल माह में जिलाधिकारी महोदय द्वारा उद्घाटन किया जायेगा। अतः भवन पूर्ण कराकर तैयारियाँ पूर्ण कर ली जाय। सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग को निर्देशित किया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गत 05 वर्षों में निर्मित सड़क गड़डा मुक्त होनी चाहिए। ऐसी समस्त सड़को का सत्यापन खण्ड विकास अधिकारी से कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही-अधि0अभि0, ग्रामीण अभि0विभाग/जिला विकास अधिकारी)

उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि0-कासगंज :-

जिला जेल की बाउन्ड्रीवाल का कार्य लगभग पूर्ण है। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), अपर पुलिस अधीक्षक (क्राइम) एवं जेल अधीक्षक की संयुक्त टीम कार्य का निरीक्षण कर आख्या जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, एटा को उपलब्ध करायेंगे।

(कार्यवाही-अधि0अभि0, उ0प्र0रा0नि0निगम-कासगंज)

उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि0-अलीगढ :-

विकास खण्ड-जैथरा के ग्राम-तरंगवा में राजकीय महाविद्यालय का निर्माण रूसा (RUSA) योजना के अन्तर्गत कार्य कराया जा रहा है। तहसील अलीगंज में स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण कार्य प्रगति पर है कार्य को दो पालियों में चलाकर 30 जून, 2017 तक पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये। राजकीय महाविद्यालय-जलेसर में जन्तु विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 30 अप्रैल, 2017 तक कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही-अधि0अभि0, उ0प्र0रा0नि0निगम-अलीगढ)

(कादावाही-आर्थोआर्थो, जल निगम)

था जल निगम में वर्ष 2017-18 में

की फलदायीता के लिए आय की जानकारी देना और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जल निगम द्वारा आवश्यक जानकारी देना। 2017-18 में आय की जानकारी देना और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जल निगम द्वारा आवश्यक जानकारी देना।

किया है।

जल निगम द्वारा आय की जानकारी देना और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जल निगम द्वारा आवश्यक जानकारी देना।

उपरोक्त निगम-एल

(कादावाही-आर्थोआर्थो, यूटीआर्थो)

की फलदायीता के लिए आय की जानकारी देना और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जल निगम द्वारा आवश्यक जानकारी देना।

उपरोक्त निगम-एल (यूटीआर्थो)

(कादावाही-आर्थोआर्थो, यूटीआर्थो-अलीगढ़-2)

की फलदायीता के लिए आय की जानकारी देना और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जल निगम द्वारा आवश्यक जानकारी देना।

उपरोक्त निगम-एल (यूटीआर्थो-अलीगढ़-2) :-

(कादावाही-आर्थोआर्थो, यूटीआर्थो-अलीगढ़-3)

की फलदायीता के लिए आय की जानकारी देना और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जल निगम द्वारा आवश्यक जानकारी देना।

उपरोक्त निगम-एल (यूटीआर्थो-अलीगढ़-3) :-

(कादावाही-आर्थोआर्थो, आवास विकास परिषद-आगरा)

की फलदायीता के लिए आय की जानकारी देना और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जल निगम द्वारा आवश्यक जानकारी देना।

आवास विकास परिषद-आगरा :-

उ०प्र०सेतु निगम-फिरोजाबाद:-

अलीगंज मार्ग पर घुमरी के निकट काली सेतु निर्माण कार्य पूर्ण है। नरौरी-सरावल मार्ग पर नरौरी के निकट काली नदी पर सेतु एवं गढीतालुका वरीली के निकट काली नदी सेतु का कार्य चल रहा है। उप परियोजना प्रबन्धक द्वारा आश्वासन दिया गया कि 30 जून,2017 तक कार्य पूर्ण कर देंगे।


(कार्यवाही-उप परियोजना प्रबन्धक सेतु निगम-फिरोजाबाद)

पुलिस आवास निगम -आगरा

थाना-जैथरा एवं मलावन में 30 व्यक्तियों हेतु वैरक का निर्माण कार्य पूर्ण है। अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) एवं अपर पुलिस अधीक्षक की संयुक्त टीम द्वारा जाँच कर आख्या/उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही-अधि०अभि०, पुलिस आवास निगम)

अन्त में सभी कार्यदायी संस्था के अधिकारियों एवं सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को धन्यवाद व्यक्त करते हुये बैठक का समापन किया गया।


(विजय किरन आनन्द)
जिलाधिकारी
एटा।

कार्यालय - जिलाधिकारी,एटा।

पत्रांक- 651 /डी०एसटी०ओ/25 लाख-बैठक/ 2016-17 दिनांक: 25-02-17

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- विशेष सचिव,महोदय कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, उ०प्र०शासन लखनऊ।
- 2- आयुक्त,महोदय अलीगढ मण्डल,अलीगढ।
- 3- संयुक्त विकास आयुक्त,अलीगढ मण्डल,अलीगढ।
- 4- मुख्य विकास अधिकारी,एटा।
- 5- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी,एटा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 6- सभी सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को परिपालनार्थ।
- 7- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह उक्त कार्यवाही जनपदीय वेबसाइट पर लोड कराना सुनिश्चित करें।


जिलाधिकारी
एटा।